UPBJ010071302022

न्यायालय VI-Addl. District Judge/Regular, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Ram Lal-II), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06467**

सिविल प्रकीर्ण वाद सं0–200/2022

श्रीमती अजरा खातून बनाम मौहम्मद अली।

दिनांक 26–07–2023

पत्रावली पेश हुयी, पुकार कराई गयी। विद्वान अधिवक्ता हाजिर आये। प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र ग–5 मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम में प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कहा कि विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 18–05–2022 के विरूद्ध दीवानी निगरानी प्रस्तुत की गयी है। निगरानी दिनांक 17–08–2022 तक प्रस्तुत कर देना चाहिए था परन्तु प्रस्तुत नहीं की जा सकी। क्योकि अगस्त 2022 के द्वितीय सप्ताह में आवेदिका गम्भीर रूप से अस्वस्थ हो गयी थी। चिकित्सक महोदय ने आवेदिका को पूर्ण विश्राम की सलाह दी थी जब आवेदिका को आराम हुआ तो तब उसने प्रश्नगत आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर निगरानी प्रस्तुत की। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर निगरानी दायर करने में देरी नहीं किया है। निगरानी दायर करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाए।

इसके विपरीत विपक्षी की ओर से आपत्ति ग–12 प्रस्तुत करते हुये कहा कि बीमारी का कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। आदेश दिनांक 18–05–2022 गुणदोष के आधार पर पारित किया गया है। जानबूझकर आवेदिका न्यायालय में हाजिर नहीं हुई। मात्र कार्यवाही विलम्बित रखना चाहती है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थनी के द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 18–05–2022 के विरूद्ध दीवानी निगरानी दाखिल की गयी है। प्रार्थनी के द्वारा प्रार्थना पत्र ग–5 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थनी द्वारा बीमार होने के कारण दीवानी निगानी योजित करने में विलम्ब हुआ है। गुणदोष के आधार पर

दीवानी निगरानी का निस्तारण किये जाने के लिये विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विलम्ब की पूर्ति, क्षतिपूर्ति के रूप में की जा सकती है। हर्जे पर प्रार्थना पत्र 5–ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र ग–5 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1000/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। दीवानी निगरानी को दाखिल करने में जो देरी हुयी है, धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देते हुये माफ की जाती है। हर्जा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करे या विपक्षी को अदा करे और उसकी रसीद अन्दर सात दिन न्यायालय में प्रस्तुत करे।

हर्जा अदायगी उपरांत दीवानी निगरानी अंगीकृत किये जाने के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 18–08–2023 को पक्षकार जनपद न्यायाधीश बिजनौर के न्यायालय में उपस्थित हों। पत्रावली न्यायालय जनपद न्यायाधीश बिजनौर के कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित हो।

(रामलाल–द्वितीय)
अपर जिला जज कोर्ट नं0 6,
बिजनौर।